31-7-23 पत्रावली पेश हुई। श्रीमान प्रार्थी द्वारा
प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को
सुना गया पत्रावली का अवलोकन
किया रिपोर्ट तहसीलदार लालसोट
का भी अवलोकन किया। जिससे प्रार्थी
का प्रार्थना पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार लालसोट
अनुसार योग्य है, प्रार्थना पत्र
स्वीकार किया जाता है। विरुद्ध
विपक्षी निषेधाज्ञा जारी किया
किया गया बाद तामील होकर शामिल
रिकॉर्ड हो।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्री बृजेन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

रेवेन्यु प्रकरण संख्या :– 05/2021

दिनांक रजु :– 01–02–2021

उनवान

रामकिशोर पुत्र गंगाराम जाति मीना उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम कूपावारा पोस्ट हेमल्यावाला तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा राज0

(प्रार्थी)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट जिला दौसा राज0
2. राजेन्द्र कुमार
3. विकास
4. दीपक

पि0 रामजीलाल जाति मीना निवासी ग्राम संवासा तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र तरमीम दुरूस्त

(अन्तर्गत धारा 131 व 136 एल.आर.एक्ट)

उपस्थित :–

1. श्री सुनील कुमार शर्मा एडवोकेट प्रार्थी की ओर से
2. अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 की ओर से श्री ब्रजपाल रछोया एडवोकेट

दिनांक : 31-7-23

निर्णय

प्रकरण के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि आराजी खसरा नं0 125/1 रकबा 02 बिस्वा तथा खसरा नं0 129/1 रकबा 18 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 01 बीघा वाकै ग्राम संवासा तहसील लालसोट जिला दौसा मे स्थित है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थी द्वारा दिनांक 20–04–2006 को रामजीलाल पुत्र रामनारायण मीना से जरिये

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज0)

विक्रय पत्र बेचान द्वारा क्रय की गयी है। प्रार्थी द्वारा क्रयशुदा खातेदारी वाणिज्यिक संपरिवर्तित भूमि खसरा नं0 823/129 को राजस्व अधिकारीयो द्वारा घोर अनियमितता एवं लापरवाही बरतते हुए उक्त खसरा नंम्बर को राजस्व रिकार्ड मे तरमीम के वक्त राजस्व रिकार्ड के नक्शा ट्रेस मे गलत जगह अंकन करते हुए किसी अन्य स्थान पर दर्शा दिया गया है। जबकि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नं0 821/125 व 823/129 पास पास स्थित है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी वाणिज्यिक संपरिवर्तित भूमि खसरा नं0 823/129 को राजस्व नक्शा ट्रेस मे अन्य स्थान पर पृथक रूप से दर्शाया गया है जबकि उक्त खसरा नम्बर को प्रार्थी के अन्य खसरा नम्बर 821/125 के पास तथा खसरा नं0 824/129 के आगे की तरफ स्थित खाली जगह पर अंकन होना न्यायार्थ आवश्यक है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी वाणिज्यिक संपरिवर्तित भूमि खसरा नं0 823/129 को नक्शा ट्रेस मे राजस्व अधिकारियो द्वारा दुरूस्त किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। प्रार्थी की उक्त खसरा नं0 823/129 भूमि में वाणिज्यिक गतिविधियां संचालित है तथा उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 दिल्ली मुम्बई हाईवे ऑथरिटी द्वारा भी चिहिन्त हो चुकी है। इस प्रकार राजस्व अधिकारीयो द्वारा खसरा नं0 823/129 को तरमीम के वक्त राजस्व रिकार्ड के नक्शा ट्रेस मे गलत जगह अंकित करने से प्रार्थी को बडा आर्थिक नुकसान होने की पूरी आशंका है। तथा मौके पर वाद विवाद होने की पूरी संभावना है। प्रार्थी इस बात का अधिकारी है कि वह अपनी खातेदारी वाणिज्यिक संपरिवर्तित भूमि खसरा नं0 823/129 को राजस्व रिकार्ड के नक्शा ट्रेस में दुरूसत करवाये। प्रतिवादी संख्या 1 लैण्ड होल्डर व राजस्व अधिकारी है जो कि नक्शा ट्रेस मे अशुद्वी को दुरूस्त करने के लिए कानूनन अधिकृत है। एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 प्रफोर्मा पक्षकार है। प्रार्थी ने दिनांक 11-01-2021 को तहसील कार्यालय लालसोट में राजस्व कर्मचारी से सम्पर्क कर उक्त खसरा नं0 823/129 को राजस्व नक्शा ट्रेस मे दुरूस्त करने का निवेदन किया तो राजस्व कर्मचारियो ने प्रार्थी से नक्शा ट्रेस को दुरूस्त करने से साफ मना कर

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

दिया तथा कहां कि आप कोर्ट मे जाकर राजस्व नक्शा को दुरूस्त करेन का आदेश करवा लो जिस कारण उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिमी हुआ है। प्रार्थी की उक्त खसरा नम्बर 823/129 को राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस में दुरूस्त किया जाना न्यायार्थ एवं कानूनन आवश्यक है।

पत्रावली पेश हुई प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थी राजस्थान जरिये तहसीलदार से बिन्दुवार जांच कर जवाब हेतू इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 750 दिनांक 22-06-2021 के द्वारा लिखा जाकर चाहा गया जिस पर तहसीलदार लालसोट द्वारा अपने पंत्राक 2487 दिनांक 11-08-2021 के द्वारा जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली की गई तथा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 द्वारा इकबालिया जवाब पेश किया तथा वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तरमीम दुरूस्त करवाने का निवेदन किया। तहसीलदार लालसोट की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दुरूस्ती तरमीम स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दुरूस्ती तरमीम स्वीकार किया जाता है।

आदेश

आराजी वादग्रस्त खसरा नं0 823/129 वाकै ग्राम संवासा तहसील लालसोट हाल तहसील निर्झरना जिला दौसा स्थित को राजस्व रिकार्ड के नक्शा ट्रेस में स्वयं के खसरा नं0 821/125 के पास तथा खसरा नं0 824/129 से आगे स्थित खाली जगह अंकित कर पूर्व तरमीम को विलोपित कर उसके स्थान पर तहसीलदार लालसोट हाल तहसील निर्झरना की रिपोर्ट अनुसार पुनः तरमीम किये जाने हेतू तहसीलदार निर्झरना को आदेश दिये जाते है। तद्नुसार तहसीलदार निर्झरना को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 3/7/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली बाद पूर्ति की जाकर दाखिल दप्तर हो।

(बृजेन्द्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी लालसोट